छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः **09 मई, 2011** को **अपराह्न 01:00** बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की **आपात बैठक** की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः –

1.	प्रो0 हर्ष कुमार सहगल, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो0 नन्दलाल, प्रति कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
4.	प्रो0 आर0 सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
5.	प्रो0 मृदुला भदौरिया, आचार्या, शिक्षा विभाग	सदस्या
6.	डॉ0 बी0एस0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता कृषि संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 निरंजन सिंह, प्राचार्य ब्रह्मावर्त्त पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
8.	डॉ0 संदीप कुमार सिंह, उपाचार्य प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग	सदस्य
9.	डॉ0 नीरज कुमार सिंह, उपचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
10.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 जहान सिंह यादव, रसायन विज्ञान विभाग, पी.पी.एन. कॉलेज, कानुपर	सदस्य
12.	डॉ0 आर0के0 आर्या, रसायन विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, कानुपर	सदस्य
13.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
14.	श्री संजय कुमार, कार्य०कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सचिव

–:–:–:–:–:–:–:–:–

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही निम्नांकित एजेण्डा पर विचार हेतु प्रारम्भ की गयी।

मद सं0–1: राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई. 3059/जी.एस. (ए.यू.–कु.नियु.) /2010 दिनांक 17.04.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति के गठित किये जाने के लिए विश्वविद्यालय कार्यपरिष्द द्वारा अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत एक सदस्य नामित किये जाने पर पुनः विचार।

सर्वप्रथम सदस्य कार्यपरिषद डॉ० जहान सिंह यादव ने खोज समिति हेतु कार्यपरिषद की ओर से प्रो० सी०एल० खेत्रपाल, निदेशक, सी०बी०एम०आर०, एस०जी०पी०जी० आई० परिसर, लखनऊ का नाम तथा सदस्य कार्यपरिषद एवं प्रति–कुलपति ने प्रो० आर०सी० मल्होत्रा, पूर्व निदेशक, आई०आई०टी० कानपुर के नाम विचार किये जाने का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया। विचार–विमर्श के दौरान कुलसचिव एवं सचिव, कार्यपरिषद द्वारा परिषद को यह अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद की ओर से खोज समिति में सदस्य उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12(2)(क) के निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत नामित किया जाना है।

"One person (not being a person connected with the University, an Institute, a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Council."

अधिनियम के उपर्युक्त प्राविधानों के आलोक में परिषद ने यह संज्ञान में लेते हुए कि प्रो. सी.एल. खेत्रपाल, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद के सदस्य हैं, के नाम पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतएव, प्रो० आर०सी० मल्होत्रा, पूर्व निदेशक, आई०आई०टी०, कानपुर के नाम पर परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत खोज समिति में कार्यपरिषद की ओर से सदस्य के रूप में नामित किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

H. Sehgal
(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति

(संजय कुमार)
कार्य० कुलसचिव